

शासकीय पॉलिटिकल, कोंडागांव

बिंदु: 3/4 : सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ की धारा – 4(1) (ख) के अनुसार विभाग से सम्बंधित जानकारियां

- (i) अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्त्तव्य;
इस संस्था द्वारा डिप्लोमा त्री - वर्षीय पाठ्यक्रम में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने सम्बंधित, पठन- पाठन का कार्य एवं कार्यकुशल इंजिनियर हेतु मार्गदर्शन परदन करना ।
- (ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्त्तव्य;
1. संस्था द्वारा छात्रों को डिप्लोमा त्रीवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश का कार्य।
2. आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों को छात्रावृत्तिय सम्बन्धित योजना का लाभ दिया जाना।
- (iii) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है;
लिपिक ➡ मुख्य लिपिक ➡ प्राचार्य ➡ संचालक
- (iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं के द्वारा स्थापित मापमान;
छत्तीसगढ़ राज्य सेवा की अचार संहिता का पालन करना।
- (v) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख;
यथा समय शासन से जारी निर्देशानुसार।
- (vi) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण
तकनीकी शिक्षा से सम्बंधित दस्तावेज़।
- (vii) किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी निति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है;
सभी नितियों के लिए यह व्यवस्था लागू है।
- (viii) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भागरूप में इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी, विवरण;
संचालनालय के वेब साइट पर समय समय पर अपलोड की जाती रहती है।
- (ix) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका;

स.क्र.	अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम	पदनाम	मोबाइल नंबर
1	श्री टी. वी. दीक्षित	विभागाध्यक्ष	9993488950
2	श्री संदीप कुमार जायसवाल	व्याख्याता	9713012098
3	श्री कुलभूषण साव	व्याख्याता	9098999569
4	श्री निशांत कुमार	व्याख्याता	8817220551
5	श्री मोक्षधर मेश्राम	व्याख्याता	9039945091
6	श्री कमलेश हठीले	व्याख्याता	7509365474
7	कु. परिधी	व्याख्याता	8103041468
8	श्री प्रतीक साहु	व्याख्याता	7024025722
9	श्री विपिन चन्द्र भगत	व्याख्याता	8817232273
10	श्री टेक राम ध्रुव	व्याख्याता	9039291883
11	श्री यशवंत कुमार यादव	व्याख्याता	9406014929
	तृतीय श्रेणी लिपिकीय		
12	श्री देवेन्द्र कुमार बघेल	सहायक ग्रेड – 2	9406070199
13	श्री विकास शुक्ला	सहायक ग्रेड – 3	9340762065

	आकस्मिकता निधि से कार्यरत कर्मचारी		
14	श्री नकुल पाण्डे	हमाल	8817840369

- (x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसके अंतर्गत प्रतिकार की कार्यक्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो, अप्रैल 2017की स्थिति में मासिक वेतन जानकारी

स.क्र.	अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम	पदनाम	वेतन (रूपये में)
1	श्री टी. वी. दीक्षित	विभागाध्यक्ष	111496
2	श्री संदीप कुमार जायसवाल	व्याख्याता	50790
3	श्री कुलभूषण साव	व्याख्याता	50790
4	श्री निशांत कुमार	व्याख्याता	50790
5	श्री मोक्षधर मेश्राम	व्याख्याता	50790
6	श्री कमलेश हठीले	व्याख्याता	50790
7	कु. परिधी	व्याख्याता	50790
8	श्री प्रतीक साहु	व्याख्याता	50790
9	श्री विपिन चन्द्र भगत	व्याख्याता	52224
10	श्री टेक राम ध्रुव	व्याख्याता	50790
11	श्री यशवंत कुमार यादव	व्याख्याता	50790
	तृतीय श्रेणी लिपिकीय		
12	श्री देवेन्द्र कुमार बघेल	सहायक ग्रेड - 2	35783
13	श्री विकास शुक्ला	सहायक ग्रेड - 3	18731
	आकस्मिकता निधि से कार्यरत कर्मचारी		
14	श्री नकुल पाण्डे	हमाल	23784

- (xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट;

दिनांक 01-04-2016 से 31-03-2017की स्थिति में कुल व्यय की जानकारी

स.क्र.	मद का नाम / शीर्ष	बजट आबंटन	कूल	समर्पण राशि
	मांग संख्या 41			
1	41-2203-00-105-0102-2668-01-001 वेतन	2000000	1390643	609357
2	41-2203-00-105-0102-2668-01-003 महंगाई भत्ता	1700000	1577689	122311
3	41-2203-00-105-0102-2668-01-005 आदिवासी क्षेत्र भत्ता	16000	30051	-14051
4	41-2203-00-105-0102-2668-01-006 मकान किराया भत्ता	36000	81252	-45252
5	41-2203-00-105-0102-2668-01-014 अन्य भत्ता	42000	12996	29004
6	41-2203-00-105-0102-2668-01-020 त्यौहार अग्रिम	40000	0	40000
7	41-2203-00-105-0102-2668-04-001 डाक तार व्यय	10000	3000	7000

8	41-2203-00-105-0102-2668-04-002 दूरभाष पर व्यय	10000	0	10000
9	41-2203-00-105-0102-2668-04-003 फर्नीचर एवं कार्यालय	50000	41644	8356
10	41-2203-00-105-0102-2668-04-004 पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकाएं	150000	28523	121477
11	41-2203-00-105-0102-2668-04-006 वर्दियां	5000	2432	2568
12	41-2203-00-105-0102-2668-04-007 लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	100000	39958	60042
13	41-2203-00-105-0102-2668-04-008 अन्य आकस्मिक व्यय	50000	22932	27068
14	41-2203-00-105-0102-2668-04-009 सूचना प्रौद्योगिकी	31000	17819	13181
15	41-2203-00-105-0102-2668-86-000 कोचिंग / प्रतियोगिताएँ	50000	27300	22700
	योग	4290000	3276239	1013761
मांग संख्या 47				
16	47-2203-00-105-0101-2668-11-001 योग्यता छात्रवृत्ति	24000	0	24000
17	47-2203-00-105-0101-2668-11-013 सम्बद्धता शुल्क	80000	40000	40000
18	47-2203-00-105-0101-5672-11-001 बी पी एल छात्रवृत्ति	45000	0	45000
	योग	149000	40000	109000
मांग संख्या 64				
19	64-2203-00-106-0103-1853-25-006 ड्राइंग सामग्री प्रदाय	200000	99678	100322
20	64-2203-00-106-0103-2993-04-004 बुक बैंक	30000	24557	5443
	योग	230000	124235	105765
	महायोग			

(xii) सहायिकी कार्यक्रमों कस निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं;

‘निरंक’

(xiii) अपने द्वारा अनुदात्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां;

‘निरंक’

(xiv) किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों;

वेबसाइट <http://www.cgdteraipur.cgstate.gov.in> में उपलब्ध है |

(xv) सूचना अभिप्रास करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमे किसी पुस्तकालय या वचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित है 'निरंक'

(xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और विशिष्टियां;

लोक सूचना अधिकारी का नाम एवं अन्य विशिष्टियां			
कु. परिधी	व्याख्याता	जनसूचना अधिकारी	8103041468

(xvii) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए :-

प्रकाशित करेगा तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष अद्यतन करेगा :-

छात्रवृत्ति सम्बन्धी जानकारी :-

1. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति : पोस्ट मीट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आय कि सीमा निम्नानुसार है ।

क्रमांक	वर्ग	अधिकतम आय की सीमा	रिमार्क
01	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	100000 (एक लाख रुपये मात्र)	
02	अनुसूचित जाति (SC)	250000 (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र)	
03	अनुसूचित जनजाति (ST)	250000 (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र)	

2. योग्यता छात्रवृत्ति :

छ०ग० शासन कि योग्यता छात्रवृत्ति हेतु कक्षा 12 वीं के मेरिट रैंक के आधार पर दिया जाना है । न्यूनतम 80% अंक से उपर प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पात्रता होगी । छात्रवृत्ति के पात्र छात्र छात्राओं का चयन संचालक ,तकनीकी शिक्षा संचालनालय द्वारा किया जायगा ।

3. बी० पी०एल छात्रवृत्ति :

केवल सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हेतु बी० पी०एल वर्ग में आते हैं ।

4. अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति :

वे ही विद्यार्थी पात्र होंगे जो अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत आते है ।

5. विकलांग (निशक्तजन) छात्रवृत्ति :

6. पोस्ट मीट्रिक छात्रवृत्ति अनु.जाति/जनजाति एवं अन्य पि.वर्ग के आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज :

1. स्थायी जाति एवं जाति सत्यापन प्रमाण पत्र ।
2. छ०ग० निवास प्रमाण पत्र ।
3. आय प्रमाण पत्र , (समस्त स्रोतों से आय)
4. अंकसूची कि सत्यापित फोटोकॉपी ।
5. प्रवेश रशीद की फोटोकॉपी ।

टीप : सत्र 2017-18 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम विद्यार्थी राज्य सरकार द्वारा निर्मित वेबसाइट <http://mpsc.mp.nic.in/cgpms> से ऑनलाइन आवेदन करना होगा | उपरोक्त आवेदन को लॉक करेंगे ,जिससे उपरोक्त आवेदन विद्यार्थी द्वारा अध्ययनरत संस्था/महाविद्यालय के account में चला जायगा | आवेदन को लॉक करने के साथ साथ विद्यार्थी उपरोक्त आवेदन का प्रिंट आउट भी निकालेंगे और आवश्यक दस्तावेजों के साथ संस्था प्रमुख के पास जमा करेंगे |